भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3788
(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत लंबित राशि

3788. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉवः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए लंबित निधि को जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;
(ख) अब तक जारी निधि का ब्यौरा क्या है और जारी किए जाने के लिए लंबित निधि की प्रमात्रा कितनी है; और
(ग) मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को निधि जारी करने में विलंब के क्या कारण है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। मंत्रालय स्वीकृत श्रम बजट, प्रारंभिक शेष, यदि पिछले वित्तीय वर्ष की कोई लंबित देनदारियां हों तो उन देनदारियों और समग्र निष्पादन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां रिलीज करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान (11.07.2019 तक) मनरेगा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 3893.79 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।